निगरानी 2237-I-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

1. राजशेखर तनय स्व. आत्माराम पाठक
2. श्रीमति देवेन्द्र कुमारी पत्नि स्व. आत्माराम पाठक
3. अनुपम पाठक तनय स्व. आत्माराम पाठक

निवासी आत्माराम एण्ड सन्स, सागर रोड, लॉ कालेज के पास, छतरपुर

.....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/1/13 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देरी स्थित भूमि खसरा क्र 1809/1/2 रकवा 2.023 हे. का पट्टा मंगला अहिरवार को प्रदत्त किया गया था तथा मंगला अहिरवार की मृत्यु उपरांत पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 26/5/97 को उक्त भूमि का नामांतरण दीनदयाल तनय कडोरा एंव बुदू तनय करोडा अहिरवार के नाम पर स्वीकृत किया गया जिन्होने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 2/8/2000 के माध्यम से भूमि का विक्रय श्रीमति सविता पत्नि कीरतसिंह ठाकुर एंव श्रीमति रामरती पत्नि भगवानसिंह ठाकुर को कर दिया गया तथा श्रीमति सविता एंव श्रीमति रामरती द्वारा भूमि का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20/12/01 के माध्यम से निगरानीकर्तागण के पिता व पति आत्माराम पाठक को कर दिया गया। आत्माराम पाठक की मृत्यु उपरांत नामांतरण आदेश दिनांक 15/10/08 के पालन में वारसाना हक में भूमि पर निगरानीकर्तागण का नाम दर्ज किया गया परंतु एक शिकायत के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर विधि विपरीत

CXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.2237/F/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.7.15	1— मैने प्रकरण का आवलोकन किया एवं आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 57/बी—121/2009—10 मे पारित आदेश दिनांक 21/01/13 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदकगण की ओर तर्क दिया है कि संहिता की धारा 165(7)ख, के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता है, परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। 3— आवेदकगण की ओर से तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में तहसीलदार छतरपुर के द्वारा ग्राम देरी की भूमि ख. नं. 1801/1/2 रकवा 2.023 हे. का पट्टा वर्ष 1985 में मंगला तनय परमा अहिरवार के नाम स्वीकृत किया गया था उसकी मृत्यु उपरांत उसका वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण दिनांक 26.5.97 को दीनदयाल तनय कड़ोरा एवं बुदू तनय कड़ोरा के नाम स्वीकृत किया गया उन्होंने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र वर्ष 2000 मे प्रथम विक्रयपत्र सविता सींग एवं श्रीमति रामरति के नाम किए जाने पर उक्त भूमि का विकय आवेदकगण के पिता को वर्ष 2001 में किया गया है। तहसीलदार छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 69/अ—6 वर्ष 2007—08 आदेश दिनांक 15—10—08 के अनुसार आवेदकगणों का वारसान रिकार्ड दर्ज किया है जो वर्तमान में भी दर्ज है। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी के तहत कार्यवाही करते हुए विवादित आदेश पारित किया है। जिसे निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकरण में पट्टा वर्ष 1985 में दिया गया था, और भूमि का विक्रय वर्ष 2000 में किया गया है। जो 10 वर्ष पश्चात् किया गया है। इसी बीच पट्टेदार को म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 16—1/84/07/2ए दिनांक 9/2/84 को पट्टेदार अनावेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किए गए थे। इस कारण अंतरण वर्ष 1985 के बंटन पश्चात भूमि स्वामी हक प्राप्त हो जाने से निष्पादित विक्रयपत्र अवैद्य नहीं माने जा सकते। ऐंसी स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश	

[कृ. प. ड.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है, जैसा कि रे.नि. 2004 पृष्ठ 183 दयाली तथा 1 अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई व अन्य में भी मान्य किया गया है कि, धारा 165(7–ख)– सरकारी पट्टेदार द्वारा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमि स्वामी अधिकार अर्जित–भूमि का विक्रय कर सकता है– कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं। इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीन एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आधुनिक गृह निमार्ण सहकारी समिति मर्या. वि. म. प्र. राज्य तथा एक अन्य में मान्य किया है। जो इस प्रकरण में प्रभावशील है। 4– आवेदकगण की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 14 वर्ष पूर्व किये गये विक्रय पत्र का शून्य किये जाने बावत् कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। व शिकायतकर्ता के आवेदन पर स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है इतने लंबे अंतराल पश्चात स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया न्यायसंगत नहीं है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत उच्च न्यायालय रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 21–01–2013 निरस्त करने का अनुरोध किया है। 5– मैंने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने शिकायती आवेदनपत्र के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 1985 में दिया गया था और भूमि का प्रथम विक्रय वर्ष 2000 में किया गया है। जो लगभग 16 वर्ष बाद किया गया है ऐंसी स्थिति में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैध नहीं माना जा सकता। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दि.21.01.13 निरस्त किया जाकर आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख में पूर्ववत् दर्ज किया जाये, तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला–छतरपुर

प्रकरण क्रमांक आर.2237–एक/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–8–15	आवेदक की ओर से श्री डी.के.पासी, अभि. उप. । आवेदक अभि. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16–7–15 में संशोधन किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आवेदक अभि. द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16–7–15 के तीसरे पैरे की तीसरी लाइन में ख.नं. 1801/1/2 त्रटिवश गलत अंकित हो गया है, जिसके के स्थान पर ख.नं.1809/1/2 होना चाहिये । इसलिये उसमें संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया । मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत संशोधन आवेदन पत्र एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । विचारोपरान्त ख.नं. 1801/1/2 के स्थान पर ख.नं. 1809/1/2 स्थापित किया जाता है । यह आदेश मूल आदेश का अंग माना जावेगा । सदस्य	